राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामसहाय बनाम जे.डी.ये.

तारीख हुक्म	778/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की अन्य भूमियो के अलावा वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2845 रकबा 0.0900 हैक्टयर व खसरा नम्बर 2846 रकबा 0.1000 हैक्टयर जिसके साबिक बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 तक के खसरा नम्बर 1280 रकबा 15 बिस्वा ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2845 व 2846 मे वादी संख्या एक रामसहाय ने अन्य वादीगण की सहमति से अपने निवास हेतु आवासीय पुख्ता मकान तथा वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा व पश्चिम दक्षिणी दिशा की सीमा से लगता हुआ पानी का टंक निर्मित है तथा टेंक के पूर्व दिशा की ओर दक्षिणी सीमा से लगवा नीम का पेड व खाम मकानात इत्यादि का निर्मित है जिसका बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग अपने परिवारजनो सहित करता चला आ रहा है। वादीगण की कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा की ओर प्रतिवादी सं. 01 की अभिलिखित खातेदारी की वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं0 2847 रकबा 0.0600 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता जिसके साबिक बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 तक के खसरा नम्बर 1279 रकबा 04 बिस्वा एवं भूमि हाल खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.1500 हैक्टयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 1278 रकबा 12 बिस्वा ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित है। उल्लेखनीय है कि हाल खसरा नम्बर 2854 के पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं. 02 के द्वारा अन्तर्गत धारा 90 (बी) एल.आर.एक्ट 1956 की कार्यवाही किये जाने पर नामांतरकरण सं. 518 दिनांक 13-10-2005 के द्वारा प्रतिवादी सं. 01 के नाम अभिलिखित की गयी है जो वादीगण के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या एक की अभिलिखित खातेदारी की वादगस्त भूमि खसरा नं0 2847 के दक्षिण दिशा की ओर प्रतिवादी सं० 03 व 04 की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.1200 हैक्टयर व प्रतिवादी सं० 02 की खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.1500 हैक्टयर जिसके साबिक बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 तक राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामसहाय बनाम जे.डी.ये.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो इ... हुक्म की तामील में जारी हुए
778/2017		

के कमश साबिक खसरा नम्बर 1279 खसरा नम्बर 1282 व खसरा नम्बर 1278 ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित है। प्रतिवादी सं01 की अभिलिखित खातेदारी की वादग्रस्त भूमि गैरमुमकीन रास्ता होने से उक्त भूमि से वादीगण एवं अन्य खातेदार अपनी खातेदारी की भूमियो मे काश्त इत्यादि कार्य हेतु जाने आने के उपयोग मे कदीम से पूर्व म वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तत्पश्चात वादीगण बिना किसी बाधा या रूकावट के शान्ति पूर्वक काम में लेते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त वादग्रस्त भूमियो पर साबिक नक्शा (सन 1947 संवत 2004 से 2023) के अनुरूप ही मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं. एक की अभिलिखित खातेदारी की भूमि हाल खसरा नमबर 2847 का गैर मुमकिन रास्ता भी मौके पर उक्त साबिक खसरा नम्बर 1279 नक्शा व मौके के अनुसार ही अवस्थित है। वादगस्त भूमि के सबधं मे संवत 2051 से 2070 तक की अवधि के लिये सम्पन्न भूप्रबन्ध सक्रियाओ मे भूप्रबन्ध विभाग के कार कानून ने बिना किसी आधार व अधिकार कै गैर कानूनी तौर तरीके से मौके के विपरीत एवं गत व हाल नक्शा शीटस का मिलान किये बिना ही आकृति व मौके के विपरीत वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादगस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1280 के साबिक नक्शा व मौके के अनुसार हाल खसरा नमबर 2845 व 2846 का हाल नक्शा निर्मित किया जाने के स्थान पर हाल नक्शा मे वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं0 2845 की दक्षिण दिशा व पश्चिमी दक्षिणी दिशा की सीमा व 2846 की दक्षिण दिशा की सीमा को घटाकर आकृति व मौका बदलकर दर्शाते हुए प्रतिवादी संख्या एक की अभिलिखित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2847 जो कि गैर मुमकिन रास्ता की सीमा को जोडकर दर्शा दिया गया और प्रतिवादी सं० 02 लगायत 04 की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2854 की उत्तर दिशा की सीमा व 2855 की उत्तर दिशा व पश्चिम उत्तर दिशा की सीमा को हाल नक्शा मे आकृति व मोका बदलकर बढाकर दर्शा दिया गया जो अवैध होने वादीगण के अधिकारो के विपरीत प्रारंभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। दिनांक 12-08-2016 को प्रतिवादीगण संख्या एक के कारकूनान तथा प्रतिवादी संख्या दो लगायत चार एक राय होकर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादगस्त भूमि पर आये और एलानिया कहा कि तुम्हारी खातेदारी की भूमि मे प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2847 गैर मुमकिन रास्ता नक्शे मे दिखाया गया है जिसमे तुम्हारे मकान पुख्ता व खाम तथा पानी टेंक इत्यादि निर्मित है जो हटा लेवे अन्यथा अतिशीघ्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामसहाय बनाम जे.डी.ये. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
778/2017		

ही दल बल सहित आकर जबरिया इनको ध्वस्त करेगे। इसपर वादी संख्या 01 ने प्रतिवादीगण से अनुरोध किया कि उक्त मकानात टेंक इत्यादि वादीगण की खातेदारी वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1280 मे ही 20 वर्षों से भी अधिक अवधि से बने हुए है, जिसका उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा या आक्षेप के शान्ति पूर्वक करता चला आ रहा है | वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2845 की दक्षिण दिशा व पश्चिम दक्षिण दिशा की सीमा व 2846 की दक्षिण दिशा सीमा साबिक खसरा नम्बर 1280 की सीमा के अनुरूप घोषणा कराकर हाल नक्शा मुताबिक साबिक नक्शा दुरुस्त करावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधिवक्ता ने अन्डरटेंकिंग दी गयी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31/07/2017 पारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उचित प्रतीत होते है | अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे की उनके वाद की पुष्टी होती हो | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी